भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 177

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)

रोजगार की स्थिति

177. **श्री बैन्नी बेहनन:**

श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं में बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मेक इन इंडिया के दावों के बावजूद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और विनिर्माण क्षेत्रों में नौकरियों के नुकसान के क्या कारण हैं; तथा

(घ) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं और कब तक परिणाम आने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष (जनवरी 2025-दिसंबर 2025) के दौरान आयोजित वार्षिक रिपोर्टों की श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2024 में 10.3% से घटकर 2025 में 9.9% हो गई है। पीएलएफएस रिपोर्ट में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्षवार जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र भी शामिल है, रोजगार के अनुमान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में रोजगार वर्ष 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 16.83 करोड़ (अनंतिम) रही है, जो औसतन प्रति वर्ष 2.8 करोड़ रोजगार के बराबर है।

इसके साथ, नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में विनिर्माण क्षेत्र में सामान्य स्थिति पर कामगारों की प्रतिशत हिस्सेदारी वर्ष 2022 में 11.2% से बढ़कर वर्ष 2025 में 12.1% हो गई है।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) का शुभारंभ 01.07.2020 को किया गया था, 15.07.2026 तक, आईएमई सहित पंजीकृत उद्यमों की संख्या 9.0 करोड़ से अधिक है। उद्यम विभिन्न कारणों जैसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त होना, उद्यम का बंद होना, डुप्लिकेट पंजीकरण, कंपनी के मालिक में परिवर्तन और अन्य कारणों से पोर्टल पर अपना पंजीकरण निरस्त कराते हैं। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, उद्यम पंजीकरण पोर्टल की स्थापना से अब तक केवल 0.17 प्रतिशत एमएसएमई का पंजीकरण उद्यम बंद होने के कारण निरस्त किया गया है।

'मेक इन इंडिया' पहल का शुभारंभ दिनांक 25 सितंबर, 2014 को निवेश को सुगम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैशिवक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यह 'वोकल फॉर लोकल' की एक विशिष्ट पहल है, जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। देश में घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश संवर्धन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है।

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), के माध्यम से, देश भर में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), प्रापण एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस), एमएसएमई कार्य निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (आरएएमपी), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैंपियन, पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने देशभर में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं::

- व्यापार सुगम बनाने के लिए "उद्यम पंजीकरण" के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों का पंजीकरण।
- उद्यम पोर्टल और श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) का एकीकरण, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत एमएसएमई एनसीएस पर रोजगार चाहने वालों की खोज करने में सक्षम हैं।

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम सहायता मंच (यूएपी) का शुभारंभ।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यावित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
